सिंहस्थ: 17 नए विकास कार्यों को मंजूरी

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रि-मंडलीय समिति की छठवीं बैठक , ओंकारेश्वर में बनेगा हेलीपेड

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल: सिंहस्थ-2028 को भव्य, सुव्यवस्थित और श्रद्धालुओं के लिए अधिक सुविधाजनक बनाने की दिशा में मध्यप्रदेश सरकार ने तैयारियों को और गति दे दी है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रि-मंडलीय समिति की छठवीं बैठक में 491.66 करोड़ रुपये की लागत से 17 नए विकास कार्यों को स्वीकृति प्रदान की गई।

इसके साथ ही उज्जैन और आसपास के जिलों में 16 हजार 910 करोड़ रुपये की लागत से संचालित 148 विकास एवं निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा भी की गई। बैठक में मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि सड़क नेटवर्क, शिप्रा नदी के घाटों, श्रद्धालुओं के ठहराव, पेयजल, यातायात और सुरक्षा से जुड़े सभी कार्य निर्धारित समय-सीमा में पूरे किए जाएं। उन्होंने भीड़ प्रबंधन, आपदा नियंत्रण और चिकित्सा सुविधाओं के लिए अभी से विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने पर जोर दिया। स्वीकृत परियोजनाओं में उज्जैन में नए पुल, सड़क चौड़ीकरण, पंचक्रोशी मार्ग का विकास, विश्राम गृह निर्माण तथा सर्किट हाउस के विस्तार जैसे कार्य शामिल हैं। वहीं ओंकारेश्वर में मंदिर परिसर विकास, मल्टी लेवल पार्किंग, सीसी रोड, अस्पताल उन्नयन, रेलवे ओवरब्रिज और अन्य आधारभूत सुविधाओं को मंजूरी दी गई है।

मुख्यमंत्री ने ओंकारेश्वर में अत्याधुनिक अस्पताल और हेलीपैड विकसित करने के निर्देश भी दिए। उनका कहना था कि इससे आपदा की स्थिति में राहत एवं बचाव कार्यों के साथ एयर एम्बुलेंस सेवाओं को भी मजबूती मिलेगी। उन्होंने ओंकारेश्वर-बड़वाह क्षेत्र के समग्र विकास के लिए अलग प्राधिकरण गठित करने का सुझाव दिया।

बैठक में शिप्रा घाटों के प्रबंधन में आश्रमों और गुरुकुलों की सहभागिता सुनिश्चित करने की बात भी कही गई, ताकि सिंहस्थ के बाद भी इन सुविधाओं का प्रभावी उपयोग जारी रह सके। साथ ही पुलिस, प्रशासन और नगर निगम के बीच बेहतर समन्वय के लिए प्रशिक्षण और मॉक ड्रिल जल्द शुरू करने के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई निष्पक्ष और समान रूप से की जाए तथा प्रभावित लोगों को समय पर मुआवजा उपलब्ध कराया जाए। उज्जैन क्षेत्र में 15 लाख पौधे लगाने के लक्ष्य पर भी विशेष जोर दिया गया।

उन्होंने निजी क्षेत्र की भागीदारी से आवास, पार्किंग, पेयजल और अन्य जनसुविधाओं के विकास को बढ़ावा देने की आवश्यकता बताई। इंदौर, देवास, खंडवा, शाजापुर, आगर-मालवा, मंदसौर और खरगोन जैसे क्षेत्रों में भी श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के निर्देश दिए गए। बैठक में यह भी तय किया गया कि सिंहस्थ-2028 को केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि आधुनिक प्रबंधन, बेहतर अधोसंरचना और सांस्कृतिक विरासत के समन्वय का उदाहरण बनाया जाएगा, जिससे देश-विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को उत्कृष्ट सुविधाएं उपलब्ध हो सकें।

कोलार सिक्सलेन पर सर्वधर्म पुल की जालियां उखड़ीं, कांग्रेस ने गुणवत्ता पर उठाए सवाल

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: कोलार सिक्सलेन स्थित सर्वधर्म पुल पर सौंदर्यीकरण के लिए एक वर्ष पहले लगाई गई जालियों के उखड़ जाने का मामला सामने आया है। कोलार कांग्रेस अध्यक्ष राहुल सिंह राठौड़ ने इस कार्य की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए नगर निगम आयुक्त से जांच की मांग की है।

राठौड़ ने आरोप लगाया कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत लगाए गए इन कार्यों में घटिया सामग्री का उपयोग किया गया, जिसके कारण हल्की हवा चलने पर ही जालियां टूटकर गिरने लगीं। उन्होंने सोशल मीडिया पर इसके फोटो साझा कर इसे 'गुणवत्ताहीन विकास' बताया।

कांग्रेस नेता ने नगर निगम आयुक्त संस्कृति जैन को ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि इस निर्माण कार्य की उच्चस्तरीय जांच कराई जाए तथा जिम्मेदार अधिकारियों और ठेकेदारों पर कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि यदि उस समय कोई व्यक्ति पाथवे से गुजर रहा होता तो गंभीर दुर्घटना हो सकती थी।

उन्होंने आरोप लगाया कि यह मामला संभावित भ्रष्टाचार और लापरवाही की ओर संकेत करता है। राठौड़ ने मांग की है कि जालियों को पुन: उच्च गुणवत्ता के साथ लगाया जाए ताकि भविष्य में इस तरह की समस्या न हो। नगर निगम से मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की मांग की गई है।

मुख्यमंत्री ने दो बच्चों की सीमा वाला नियम प्रारूप किया निरस्त, पोर्टल से हटाने के निर्देश

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शासकीय सेवा से जुड़े प्रस्तावित नियम में दो बच्चों की अधिकतम सीमा संबंधी प्रावधान को निरस्त कर दिया है।

उन्होंने सामान्य प्रशासन विभाग को निर्देश दिए कि इस प्रारूप को तत्काल प्रभाव से पोर्टल से हटा दिया जाए और इसे अमान्य घोषित किया जाए। यह प्रावधान वर्ष 2001 की व्यवस्था से जुड़ा था, जिसके अनुसार दो से अधिक जीवित संतान वाले अभ्यर्थियों को शासकीय सेवा के लिए अपात्र माना जाता था। साथ ही शासकीय कर्मचारियों के दो से अधिक बच्चों को कदाचार की श्रेणी में रखा गया था।

मुख्यमंत्री ने इस विषय पर संज्ञान लेते हुए स्पष्ट किया कि प्रस्तावित मध्यप्रदेश सिविल सेवा नियम में इस प्रकार की शर्तें अब लागू नहीं रहेंगी। उन्होंने निर्देश दिए कि नए प्रारूप में आवश्यक संशोधन कर पुन: विधिवत प्रकाशित किया जाए।

खास खबरें

निशातपुरा थाना घर में चोरी प्लॉट के नाम पर 4.95 लाख की धोखाधड़ी

नप्र. भोपाल : निशातपुरा थाना क्षेत्र में अज्ञात बदमाशों ने संजीव नगर के घर का ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। वहीं विकास कॉलोनी में प्लॉट दिलाने के नाम पर 4 लाख 95 हजार रुपये की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। पुलिस ने जफर अली, धनंजय भागवत और नवनीत परिहार के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

बीएचईएल पार्किंग से बाइक चोरी

बीएचईएल पार्किंग गेट नंबर-5 से उपेन्द्र सिंह की हीरो मोटरसाइकिल (एमपी-04 वाईजेड-3877) चोरी हो गई। पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

एक्टिवा चोरी, सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने वालों पर कार्रवाई

बलाईपुरा इमामी गेट क्षेत्र से सैयद शानजद की एक्टिवा (एमपी-04 यूए-8267) चोरी हो गई। वहीं थाना क्षेत्र में सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीते पाए गए लोगों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई।

कोहेफिजा थाना पार्किंग चौराहे से एक्टिवा चोरी

नादरा पार्किंग चौराहे से नरेश साहू की एक्टिवा (एमपी-04 एसवी-5626) चोरी होने का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस वाहन की तलाश कर रही है।

सड़क हादसे में चालक गिरफ्तार, युवक के पास मिली छुरी

बावड़िया चौराहे पर तेज रफ्तार वाहन ने टक्कर मार दी। पुलिस ने आरोपी चालक को गिरफ्तार कर प्रकरण दर्ज किया है। वहीं हनुमान मंदिर के पास हेमराज अनहरीवार (19) के कब्जे से छुरी बरामद होने पर आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की गई।

सस्ते सोने के लालच में युवक से 3.5 लाख की ठगी

असली मोती दिखाकर जालसाज मां-बेटे ने बनाया शिकार

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: राजधानी के लालघाटी क्षेत्र में सस्ते सोने की माला दिलाने का झांसा देकर एक युवक से साढ़े तीन लाख रुपये की ठगी का मामला सामने आया है। जालसाज मां-बेटे ने पहले माला का एक असली सोने का मोती देकर भरोसा जीता और बाद में नकली माला थमा कर फरार हो गए।

पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार अशोकनगर जिले के करमसी कचनार गांव निवासी अंकित शर्मा (28) अपनी मां पुष्पाबाई का इलाज कराने कोहेफिजा स्थित एक निजी अस्पताल आया था। इसी दौरान उसकी मुलाकात राजू प्रजापति नामक युवक और उसकी कथित मां से हुई। आरोपियों ने अंकित को बताया कि खुदाई के दौरान उन्हें जमीन से सोने की एक कीमती माला मिली है। बहन की शादी के लिए पैसों की जरूरत होने के कारण वे माला बाजार मूल्य से काफी कम कीमत पर बेचना चाहते हैं। भरोसा दिलाने के लिए उन्होंने माला का एक मोती तोड़कर अंकित को जांच कराने के लिए दे दिया। अंकित ने मोती को सुनार के पास जांच कराया, जहां वह शुद्ध सोने का निकला। इसके बाद वह झांसे में आ गया और फसल बेचकर तथा परिचितों से उधार लेकर करीब रुपए 3.5 लाख की राशि जुटाई। बताया गया है कि लालघाटी ब्रिज के नीचे अंकित ने आरोपियों को नकद रकम दी और बदले में माला ले ली। बाद में जब उसने बैरागढ़ के एक सराफा व्यापारी से पूरी माला की जांच कराई तो पता चला कि माला नकली है और उसमें केवल दिखावे के लिए असली मोती लगाया गया था।

ठगी का एहसास होने पर अंकित ने आरोपियों से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन राजू प्रजापति का मोबाइल फोन बंद मिला। इसके बाद उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अस्पताल परिसर और लालघाटी ब्रिज के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले जा रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं।

भाजपा के क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल ने मंगलवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धापूर्वक नमन किया। इस अवसर पर पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष शैलेन्द्र बरूआ, डॉ. नंदिता पाठक, प्रदेश मंत्री श्रीमती संगीता सोनी, अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज टेकाम उपस्थित रहे।

सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने के मामले दर्ज

नप्र. भोपाल : थाना क्षेत्र में आम स्थानों पर शराब पीते पाए गए लोगों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया।

गाली-गलौज के बाद पथराव, मामला दर्ज : ज्योति पंथी की शिकायत पर सुरजीत खटीक और शीतल खटीक के खिलाफ गाली-गलौज और पत्थर फेंकने के आरोप में प्रकरण दर्ज किया गया है।

अवैध शराब के साथ आरोपी पकड़ा

भूपेन्द्र कंजर के कब्जे से करीब 600 रुपये मूल्य की अवैध शराब बरामद की गई।

जातिसूचक गाली-गलौज और मारपीट का मामला

अशोक बंशकार की शिकायत पर राजेश मीणा, नवीन मीणा और गब्बर मीणा के खिलाफ जातिसूचक शब्दों का प्रयोग, मारपीट और धमकी देने के आरोप में विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

मुख्यमंत्री ने धन्नालाल खत्री के निधन पर दुख व्यक्त किया

नप्र. भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भोपाल जिले की बैरसिया विधानसभा से विधायक श्री विष्णु खत्री के पिता धन्नालाल खत्री जी के निधन पर दुख व्यक्त करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की है।

सार्वजनिक यात्री बस किराया के लिए बैठक शीघ्र

नप्र. भोपाल : परिवहन विभाग आगामी सप्ताह में सार्वजनिक बसों के किराया निर्धारण के लिए 'किराया निर्धारण समिति' की बैठक आयोजित करने जा रहा है। इस बैठक में बस किराए से सम्बंधित प्रस्तावों पर विचार विमर्श किया जाएगा।

आगामी बैठक को सुचारू रूप से आयोजित करने के लिए दो बस ऑपरेटर प्रतिनिधियों को बैठक में शामिल किया जायेगा, जिससे सर्वसम्मति से लोक-हितैषी निर्णय लिया जा सके। वर्ष 2010 में गठित इस स्थाई समिति में प्रमुख सचिव, आर्थिक सलाहकार वित्त, आयुक्त वाणिज्यिक कर और परिवहन आयुक्त, आयुक्त भोपाल संभाग, प्रबंध संचालक राज्य परिवहन उपक्रम और परिवहन आयुक्त द्वारा नामांकित दो बस ऑपरेटर प्रतिनिधि शामिल हैं।

निटर ने मिशन लाइफ पर जागरूकता फिल्म बनाई

नप्र. भोपाल : एनआईटीटीआर (निटर) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल 'मिशन लाइफ (लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट)' पर आधारित एक जागरूकता फिल्म का निर्माण किया है। यह फिल्म पर्यावरण-अनुकूल जीवनशैली को बढ़ावा देने और नागरिकों को प्रकृति के प्रति जिम्मेदार बनाने का संदेश देती है। मिशन लाइफ एक वैश्विक जन-आंदोलन है, जो लोगों को अनावश्यक और हानिकारक उपभोग की आदतों को छोड़कर पर्यावरण-सचेत व्यवहार अपनाने के लिए प्रेरित करता है। निटर के निदेशक डॉ. सी.सी. त्रिपाठी ने कहा कि यह अभियान केवल पर्यावरण संरक्षण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जीवनशैली में बदलाव लाने का प्रयास है। डीन कॉर्पोरेट एंड इंटरनेशनल रिलेशन्स प्रो. पी.के. पुरोहित ने बताया कि यह फिल्म मिशन लाइफ के संदेश को व्यापक स्तर पर पहुंचाने का माध्यम बनेगी।

मंत्री प्रहलाद और राधा मिले कार्यकर्ताओं से

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: कैबिनेट मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल एवं मंत्री श्रीमती राधा सिंह ने मंगलवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रदेशभर से आए कार्यकर्ताओं एवं आम नागरिकों से संवाद किया।

इस दौरान उन्होंने लोगों की जनसमस्याएं सुनीं और कई मामलों का मौके पर ही त्वरित समाधान किया। मंत्रियों ने कार्यकर्ताओं से चर्चा करते हुए उनकी समस्याओं को गंभीरता से समझा और शीघ्र निराकरण का आश्वासन दिया।

कार्यक्रम में जनसुनवाई की प्रक्रिया को सरल और प्रभावी बनाने पर भी जोर दिया गया, ताकि आमजन को समय पर राहत मिल सके।

'हमारे शिक्षक' ऐप से शिक्षा विभाग में ई-अटेंडेंस प्रणाली बनी पारदर्शी

नप्र. भोपाल : स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा विकसित 'हमारे शिक्षक' ऐप के माध्यम से रियल-टाइम ई-अटेंडेंस प्रणाली को अधिक पारदर्शी और विश्वसनीय बनाया गया है। यह प्रणाली एजुकेशन पोर्टल 3.0 से एकीकृत है, जिससे शिक्षकों और कर्मचारियों की उपस्थिति की जानकारी तुरंत उपलब्ध हो रही है। इस तकनीक में एआई आधारित लाइवनेस अथेंटिकेशन का उपयोग किया गया है, जिसमें उपस्थिति दर्ज करते समय कर्मचारी को मुस्कुराने या आंख झपकाने जैसी लाइव गतिविधि करनी होती है। इससे फर्जी या प्रॉक्सी उपस्थिति की संभावना समाप्त हो जाती है। जियो-फेंसिंग तकनीक के माध्यम से कर्मचारी केवल निर्धारित स्कूल, कार्यालय या प्रशिक्षण केंद्र की सीमा के भीतर ही उपस्थिति दर्ज कर सकते हैं।

कार्यालय थाना प्रभारी थाना कोहेफिजा भोपाल (5)

क्रमांक/था.प्रा./शाह-बाद / नपु/भो /10/26 दिनांक 2/6/2026

जाहिर सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि थाना शाहजहांनाबाद के मर्ग क्रमांक 10/2026 धारा 194 BNSS में अज्ञात मृतक पुरुष (राजू) उम्र 55 साल, रंग संावला , बदन सामान्य शरीर सिर के बाल काले सफेद चेहरे पर मूछ, कपड़े, सफेद कलर की शर्ट व नीले कलर की जिन्स पहने देखने पर बीमार सा लग रहा है अतः उक्त अज्ञात मृतक पुरुष (राजू) उम्र 55 साल के बारे में कोई जानकारी मिलती है तो कृपया कर थाना प्रभारी शाहजंहानाबाद भोपाल के जाँचकर्ता के मोबाईल नंबर 9425680171 या आफिस तत्काल संपर्क करे।

थाना प्रभारी,
थाना शाहजहांनाबाद, नगरीय पुलिस, भोपाल (म.प्र.)

जी-14147/26

विकसित भारत 2047 लक्ष्य में विधायिका की भूमिका अहम्

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: मध्यप्रदेश विधानसभा अध्यक्ष श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने में विधायिका की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि इसके लिए राजनीतिक दृढ़ता, प्रतिबद्धता और जनजागरूकता आवश्यक है, क्योंकि जागरूक समाज ही विकास की दिशा में मजबूत आधार तैयार करता है।

श्री तोमर हरियाणा विधानसभा में आयोजित कॉमनवेल्थ पार्लियामेंटरी एसोसिएशन भारत क्षेत्र के ज़ोन-द्वितीय सम्मेलन में 'विकसित भारत-2047: जागरूक समाज और विधायकों की भूमिका' विषय पर संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला, राज्यसभा उपसभापति हरिवंश, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सहित विभिन्न राज्यों के पीठासीन अधिकारी उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि विधायक जनता और सरकार के बीच सेतु का कार्य करते हैं। यदि विधायक सक्रिय और जागरूक होंगे तो जनता को भी सही दिशा में प्रेरित किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इसकी मजबूती के लिए आर्थिक विकास के साथ-साथ सामाजिक और नागरिक जागरूकता भी जरूरी है।

श्री तोमर ने कहा कि देश की युवा शक्ति सबसे बड़ी ताकत है और इसे सही दिशा देने की जिम्मेदारी भी जनप्रतिनिधियों की है। उन्होंने विश्वास जताया कि विधायकों की सक्रिय भागीदारी से विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करना संभव होगा।

कार्यालय राजस्व निरीक्षक रा. नि.मं.0.4 बावड़िया कला तहसील-कोलार जिला भोपाल म.प्र.

रा.प्र.क्रं. 0103/अ/-12/2025-26
ग्राम नाम-बावड़िया कला

सूचना-पत्र

प्रति, 1. कृष्ण मोहन शुक्ला पिता एम.एल. शुक्ला नि. बावड़ियाकला, 2. डॉ. घनश्याम दास अग्रवाल पिता स्व. काशीनाथजी आग्रवाल पता-38,39, महेश कॉलोनी ईदगाह हिल्स भोपाल, 3. जगमोहन मेहरा पिता अमरनाथ मेहर नि. दिल्ली, 5. सोमती ठाकुर पत्नी हुकुमसिंह ठाकुर अन्य, सर्वसाधारण को सूचित हो। हल्का पटवारी शिवाजी जी मिश्रा।

विषय-सीमांकन किये जाने हेतू बाबत् सूचना-पत्र।

एतद द्वारा सूचित किया जाता ळे कि आवेदक कृष्ण मोहन शुक्ला पिता श्री एम. एल. शुक्ला नि. भोपाल द्वारा ग्राम बावड़िया कला प.ह.नं. 0.18 में स्थित खसरा नं. क्रमांक 69/1/2/2 रकबा क्रमांक 0.4050 हे. भूमि कुल रकबा 0.4050 हे. भूमि का सीमांकन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। आवेदक द्वारा आवेदित उक्त भूमि का सीमाकंन मेरे द्वारा दिनांक 18/06/2024 को समय प्रातः 10.30.6 से 11.30 बजे स्थल पर किया जावेगा। पड़ोसी खातेदार होने के कारण एवं उक्त सीमांकन से कोई आपत्ति हो तो नियत दिनांक एवं समय पर स्थल पर भूमि के स्वत्व संबंधी एवं अनुषांगिक दस्तावेज सहित उपस्थित रहकर अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते है। अनुपस्थिति की दशा में सीमाकंन कार्य रोका नहीं जावेगा बाद प्रस्तुत आपत्ति विचार योग्य नहीं होगी । अत्यावश्यक शासकीय कार्य होने की स्थिति में सीमांकन की दिनांक में परिवर्तन किया जा सकता है। पड़ोसी भूमि स्वामी का पता स्पष्ट न होने से आवेदक स्वंय से व्यय पर उक्त सूचना पत्र का स्थानीय दैनिक समाचार पत्र में कराया जा सकता है। आज दिनांक 09/06/2026 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

राजस्व निरीक्षक
तहसील-कोलार, जिला भोपाल म.प्र.

570

कार्यालय राजस्व निरीक्षक रा.नि.नं. रतनपुर सड़क तहसील-कोलार जिला भोपाल म.प्र.

रा.प्र.क्रं. अ/-12/2026-27
ग्राम नाम-पिपलिया रानी
174671620017 -APP-28340497

सूचना-पत्र

प्रति, 1. छगन लाल आ. किशन निवानी मण्डीदीप भोपाल,2. पानमल किशन नि. भोपाल। 3. गोविन्द आ. प्रेमचन्द राधाबाई, गोविन्द्र निवासी भोपाल 4. सुरेशसिंह आ. उमरावसिंह रघुवंशी नि. भोपाल। 5. मिश्रीलाल आ. श्री. मोतीवाल, प्रेमशंकर- मोतीलाल नि. भोपाल, 6. फूल बाई मान सिंह, विनोद, विकास, सोनाबाई, कृष्णा बाई, 7. आ. बालकिशन एवं अन्य निवासी भेपाल। 8. बने सिंह आ. किशन निवासी भोपाल। 9. सर्व साधारण को सूचनार्थ एवं आन्य पड़ोसीगण। **विषय-सीमांकन किये जाने हेतू बाबत् सूचना-पत्र। एतद द्वारा** सूचित किया जाता है कि आवेदक पिता श्री छगनलाल पिता श्री किशन निवासी भोपाल द्वारा ग्राम-पिपलिया रानी प.ह.न.-0 में स्थित खसरा नंबर क्रमांक 126/1 रकबा क्रमांक 0.4000 हे. हे. भूमि कुल रकबा 0.4000 हे. भूमि का सीमांकन हेतु आवेदक पत्र प्रस्तुत किया गया है। आवेदक द्वारा आवेदित उक्त भूमि का सीमांकन मेरे द्वारा दिनांक 12/06/2026 को समय 12.30 1 बजे स्थल पर किया जावेगा, पड़ोसी खातेदार होने के कारण एवं उक्त सीमाकंन से कोई आपत्ति हो तो नियत दिनांक एवं समय पर स्थल पर भूमि के स्वत्व संबंधी एव अनुषांगिक दस्तावेज सहित उपस्थित रहकर अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते है। अनुपस्थिति की दशा में सीमाकंन कार्य रोका नही जावेगा बाद प्रस्तुत आपत्ति विचार योग्य नही होगी। अत्यावश्यक शासकीय कार्य होने की स्थिति में सीमाकंन की दिनांक मे परिवर्तन किया जा सकता है। पडोसी भूमि स्वामी का पता स्पष्ट न होने से आवेदक स्वंय से व्यय पर उक्त सूचना पत्र का स्थानीय दैनिक समाचार पत्र में कराया जा सकता है। आज दिनांक 09/06/2026 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

राजस्व निरीक्षक
तहसील-कोलार, जिला भोपाल म.प्र.

569

जाहिर सूचना

संस्था का विवेकानंद विचारधाम शिक्षा एवं समाज कल्याण समिति, भोपाल पता ओल्ड सुभाष नगर, भोपाल, निवासी- भोपाल। पंजीयन क्रमांक 179 दिनांक 28.05.1990 द्वारा अपनी भूमि स्थित ग्राम आमला, प.ह.नं. 44 रा.नि.मं. 04 तहसील हुजूर जिला भोपाल खसरा क्रमांक 82/2/1 /ख/1 एवं 82/2/1/ग/1 कुल रकबा 1.50 एकड़ विक्रय की जा रही है। उक्त भूमि विक्रय हेतु किसी को कोई आपत्ति हो तो वह कार्यालय रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाएं, मध्यप्रदेश भोपाल खण्ड 'घ' प्रथम तल, विन्ध्याचल भवन, भोपाल के समक्ष प्रकाशन तिथि से 10 दिवस के भीतर लिखित में प्रस्तुत कर सकते है।

मनोज कुमार साहू
सचिव
मो.नं.-9300965769

568

जाहिर सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, की मेरे पक्षकार ने 1. श्री अरूण कुमार शर्मा आत्मज श्री गुलाबचंद शर्मा आयु वयस्क निवासी मकान नं. 22 ग्राम चौपड़ा कला विदिशा रोड भोपाल मप्र एवं 2. श्री नितेश शर्मा आत्मज श्री संतोष शर्मा आयु वयस्क निवासी मकान नं. 22 लक्ष्मी नगर, शिव नगर, भानपुर भोपाल म.प्र. एक किता अविकसित सिंचित (अव्यपर्तित) कृषि भूमि जो खसरा क्रमांक 152 (स) कुल रकबा 0.4500 हैक्टयर में से रकबा 0.09 हैक्टयर अर्थात 0.22 एकड़ / डेसीमल भूमि जो कि स्थित ग्राम पिपलिया बाजखं पटवारी हल्का नम्बर 26 राजस्व निरीक्षक मण्डल 03 विकास खण्ड फन्दा तहसील हुजूर, जिला-भोपाल म.प्र. में नगर निगम की सीमाओं के बाहर, प्रधानमंत्री डामर रोड से लगकर ग्रामीण क्षेत्र में स्थित है, जिसकी भू-अधिकार एवं ऋण पुस्तिका क्रं. एल.ए.-220982 है, एवं चतुर्थ सीमाऐं निम्नानुसार हैं:- दिशा पूरब में खसरा नम्बर 153 की भूमि, दिशा पश्चिम में खसरा नम्बर 152 की शेष भूमि, दिशा उत्तर में प्रधानमंत्री डामर रोड, एवं दिशा दक्षिण में-खसरा नम्बर 142 की भूमि। जो विक्रेता- श्री नरेश आत्मज श्री जमना प्रसाद जाति-मीना आयु वयस्क निवासी ग्राम पिपलिया बाजखां विदिशा रोड, भोपाल म.प्र. के स्वत्व, स्वामित्व एवं आधिपत्य की उपरोक्त कृषि भूमि का अनुबंध मेरे पक्षकार ने कर लिया है। और शीघ्र ही मेरा पक्षकार उक्त भूमि पर कार्य प्रारंभ कर तय मियाद में रजिस्ट्री कराने जा रहा है। यह कि उपरोक्त वर्णित भूमि पर किसी व्यक्ति की कोई लेनदारी, सरकारी, गैर सरकारी, बैंक, वित्तीय, कहीं बंधक या कर्ज में लिप्त हो तो इस प्रकाशन के सात दिवस में आपत्ति दर्ज करा सकते है अर्थात् मेरे कार्यालय में मय सबूत के दर्ज करावे, अन्यथा मेरा पक्षकार रजिस्ट्री करालेगा, बाद मियाद आपत्ति मान्य नहीं होगी। **सूचित हो।**

VIVEK YADAV (Advocate)
Office:- Sai Law Chamber P-5, Patel Market, Bhanpur Vidisha Road Bhopal M.P. Mobile No. 9893283696/9584942608

567

न्यायालय तहसीलदार, नजूल शहर वृत्त, भोपाल (म.प्र.)

प्रकरण क्रमांक- 0018/अ-6/2026-27 भोपाल, दिनांक / /2026

सार्वजनिक इश्तेहार

एतद द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है आवेदक मोहम्मद जहीर उद्दीन अंसारी पुत्र श्री मोहम्मद हुसैन अंसारी निवासी 192 बिसमिल्लाह कॉलोनी भोपाल द्वारा एक किता भूखण्ड क्र. 4 जिसका कुल क्षेत्रफल 675 वर्गफिट जो कि भूमि खसरा क्रमांक 784, 786 का अंशभाग होकर बिसमिल्ला कॉलोनी का नामांतरण किये जाने हेतु म.प्र. भू-राजस्व संहिता-1959 की धारा 109,110 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त भूमि नामान्तरण के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर विज्ञप्ति /इश्तेहार प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस के अंदर प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित समयावधि के पश्चात् प्राप्त आपत्ति पर किसी प्रकार का कोई विचार नहीं किया जावेगा।

तहसीलदार
नजूल शहर वृत्त, भोपाल

566